निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 29 **पटना, बुधवार, 31 आषाढ़ 1948 (श0) / 22 जुलाई 2026 (ई0)**

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-8**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**9-12**
पूरक	---
पूरक-क	**13-15**

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

वित्त विभाग

अधिसूचना

9 जून 2026

सं० 1/स्था०(बि०वि०प्र०से०)–03/2026.–5393/वि०—बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्नांकित 71 (इकहत्तर) पदाधिकारियों की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ–5 में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है :–

क्र.	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक (BPSC / 2024)	वर्त्तमान पदनाम/पदस्थापन स्थान	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	श्री श्याम कुमार	2	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	01.01.2026
2	श्री रोहित कुमार	5	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सीतामढ़ी	01.01.2026
3	श्री सागर सिंह	8	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
4	सुश्री आयुषी मनु	9	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, वैशाली	01.01.2026
5	सुश्री आयुषी पाण्डेय	10	सहायक कोषागार पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)	01.01.2026
6	श्री अभिषेक रंजन	11	सहायक कोषागार पदाधिकारी, नवादा	01.01.2026
7	सुश्री मुस्कान	12	सहायक कोषागार पदाधिकारी, अरवल	01.01.2026
8	श्री चाणक्य कुमार	13	सहायक कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज	01.01.2026
9	सुश्री गजाला आफरीन	15	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सहरसा	01.01.2026
10	श्री अरबिंद कुमार	16	सहायक कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज	01.01.2026
11	श्री मनव्वर हुसैन	17	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णिया	01.01.2026
12	श्री नीरज कुमार	20	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, मुंगेर	01.01.2026
13	सुश्री ज्योति कुमारी	21	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, दरभंगा	01.01.2026
14	श्रीमती चारू अग्रवाल	22	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
15	श्री सौन्दर्य कुमार सुमन	23	सहायक कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय	01.01.2026
16	सुश्री रीना रानी	24	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	01.01.2026
17	श्रीमती ज्योति कुमारी	25	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सुपौल	01.01.2026
18	श्रीमती सरस्वती कुमारी	27	सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर	01.01.2026
19	सुश्री आशना जेया	29	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	01.01.2026
20	श्री कौशल राज	30	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, मुंगेर	01.01.2026
21	श्री अबनीश कुमार राय	31	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, पटना	01.01.2026
22	श्री आनन्द गौतम	33	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026

क्र.	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक (BPSC / 2024)	वर्त्तमान पदनाम/पदस्थापन स्थान	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
23	श्री केशव कुमार झा	34	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, समस्तीपुर	01.01.2026
24	श्री सौरभ	36	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, रोहतास	01.01.2026
25	सुश्री संध्या कुमारी	37	सहायक कोषागार पदाधिकारी, जमुई	01.01.2026
26	श्री निशांत देव	38	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, भागलपुर	01.01.2026
27	सुश्री सुप्रिया भारती	42	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सारण	01.01.2026
28	श्री रोहित राज	44	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	01.01.2026
29	श्री रवि कुमार केशरी	46	सहायक कोषागार पदाधिकारी, शिवहर	01.01.2026
30	सुश्री दाक्षी जायसवाल	47	सहायक कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर	01.01.2026
31	श्री अभिनव	49	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, प०चम्पारण	01.01.2026
32	श्री रिपुदमन	50	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा	01.01.2026
33	सुश्री रिया रानी	51	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, भोजपुर	01.01.2026
34	श्री राहुल कुमार गुप्ता	52	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सारण	01.01.2026
35	श्री आदित्य प्रताप	55	सहायक कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद	01.01.2026
36	श्री सुबोध कुमार राय	56	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सहरसा	01.01.2026
37	श्री शुभम कुमार दास	58	सहायक कोषागार पदाधिकारी, कटिहार	01.01.2026
38	श्री रोहित कुमार	62	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, बक्सर	01.01.2026
39	मो० इमामूद्दीन अहमद कादरी	63	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, दरभंगा	01.01.2026
40	मो० शहंसाह	65	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सुपौल	01.01.2026
41	श्री आदित्य प्रसाद	70	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, शिवहर	01.01.2026
42	श्री अमित कुमार साह	74	सहायक कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया	01.01.2026
43	श्री ब्लू भाई	77	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णिया	01.01.2026
44	श्री कौशल कुमार	79	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, जमुई	01.01.2026
45	श्री ऋषि राज प्रधान	80	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
46	श्री हर्षित	83	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, जहानाबाद	01.01.2026
47	श्री कमलेश कुमार	86	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, किशनगंज	01.01.2026
48	मो० अबसार	88	सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ	01.01.2026
49	सुश्री निकिता कुमारी	91	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
50	श्री अमरजीत कुमार	92	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी	01.01.2026
51	श्री आमिल हसन	94	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, अररिया	01.01.2026
52	सुश्री मधु शर्मा	97	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
53	सुश्री अभिलाषा कुमारी	98	सहायक कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा	01.01.2026
54	सुश्री प्रतिभा शर्मा	99	सहायक कोषागार पदाधिकारी, बक्सर	01.01.2026

क्र.	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक (BPSC / 2024)	वर्त्तमान पदनाम/पदस्थापन स्थान	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
55	सुश्री रिया वर्मा	107	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, विधि विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
56	सुश्री ब्यूटी कुमारी	112	सहायक कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा	01.01.2026
57	सुश्री अम्बिका कुमारी	116	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, कटिहार	01.01.2026
58	श्री अभिषेक राज	121	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, नवादा	01.01.2026
59	श्री राहुल कुमार	133	सहायक कोषागार पदाधिकारी, बांका	01.01.2026
60	श्री मोहित रंजन	137	सहायक कोषागार पदाधिकारी, वैशाली	01.01.2026
61	सुश्री साधवी कान्त	141	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, पटना	01.01.2026
62	श्री प्रशांत कुमार	175	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिवान	01.01.2026
63	सुश्री शिविका	180	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सिवान	01.01.2026
64	श्री सुबोध कुमार	183	सहायक कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा	01.01.2026
65	श्री गौतम कुमार	185	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सहरसा	01.01.2026
66	श्री कमलेश कुमार	194	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
67	श्री मुल शंकर कुमार	201	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खेल विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
68	श्री प्रवीण कुमार पासवान	202	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना	01.01.2026
69	श्री मयंक कुमार सिंह	215	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, शेखपुरा	01.01.2026
70	श्री लालजी पाण्डेय	216	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	01.01.2026
71	सुश्री साक्षी प्रिया	227	सहायक कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी	01.01.2026

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अक्षय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचना

19 जून 2026

सं० 1/स्था०(ले०से०)–17/2024–5740/वि० विभागीय अधिसूचना संख्या–8039 दिनांक–17.07.2025 के द्वारा नियुक्त/पदस्थापित बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के निम्न पदाधिकारी को स्तंभ–3 में अंकित तिथि से योगदान स्वीकृत किया जाता है:–

क्र०	नाम	योगदान की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	श्री अमृतांशु भारद्वाज	25.07.2025 पूर्वाहन	स्वीकृत

2. उक्त पदाधिकारी को बिपार्ड से प्रस्ताव आने पर प्रशिक्षण हेतु निदेश दिया जाएगा।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र मंडल,
सरकार के अवर सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
25 जून 2026

सं० 02/एम0एम0(बा0)–10/24–3987/एम०—बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–44 के तहत राज्य सरकार किसी लघु खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है और उनके कतिपय विनिर्देशनों पर दृढ़ रहने की अपेक्षा कर सकती है। नियम–44 में राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1882, दिनांक–15.05.2024 की कंडिका–1 को विभागीय अधिसूचना संख्या–2143, दिनांक–25.03.2026 से प्रतिस्थापित कर निम्न विनिर्देश जारी किया गया है :–

''खनिज परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर चारों तरफ लाल (SIGNAL RED) रंग से बीस ईंच चौड़ी पट्टी पेंट की जाएगी। उक्त पट्टी पर सफेद रंग से 06 (छः) इंच साईज के अंग्रेजी शब्दों में स्पष्ट रूप से पठनीय खनन वाहन–निबंधन संख्या (खनन सॉफ्ट में निबंधन संख्या) एवं वाहन का निबंधन संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य किया जाता है। कोई भी वाहन मालिक/परिवहनकर्त्ता G.P.S. एवं उपरोक्त वर्णित विशिष्टताएं के बिना खनिज का परिवहन नहीं करेंगे।''

3. समीक्षोपरान्त बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–44 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए निम्न विनिर्देश जारी किया जाता है :–

I. लाल चौड़ी पट्टी पर सफेद रंग से अंकित अक्षर/संख्या सुस्पष्ट होना चाहिए।

II. अंकित/संख्या अक्षर दूर (कम से कम 05 मीटर) से दृष्टिगोचर होना चाहिए।

III. अक्षर/संख्या के बीच पर्याप्त स्पेसिंग होना चाहिए।

IV. अक्षर/संख्या स्पष्ट एवं सीधा होना चाहिए। अक्षर/संख्या Italics में अथवा टेढ़े–मेढ़े नहीं होना चाहिए।

V. उदाहरणस्वरूप 05 फॉन्ट (Font) में नमूना मॉडल नीचे दी जा रही है। सुविधानुसार किसी एक फॉन्ट का चयन किया जा सकेगाः–

क्र0 सं0	फॉन्ट स्टाईल	नमूना मॉडल
1.	Charles Wright	KS-01234 BR-56XX7890
2.	Verdana	KS-01234 BR-56XX7890
3.	Arial Black	KS-01234 BR-56XX7890
4.	Tahoma	KS-01234 BR-56XX7890
5.	Trebuchet MS	KS-01234 BR-56XX7890

अन्य फॉन्ट का भी चयन किया जा सकता है, परन्तु यह उपरोक्त कंडिका– 3 के (I), (II), (III) एवं (IV) के पूर्ण अनुरूप होना चाहिए।

4. अधिसूचना संख्या–1882, दिनांक–15.05.2024 एवं संख्या–2143, दिनांक–25.03.2026 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेगी।

5. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना
23 जून 2026

सं० 02 / एम0एम0(बा0)–30 / 21(खण्ड)–3967 / एम0—बालू के निक्षेपों के सही निर्धारण एवं मॉनसून के उपरांत बालू की मात्रा के आकलन हेतु वैज्ञानिक तरीके से नदियों का पुनर्भरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालू खनन के संबंध में निर्गत प्रवर्तन और निगरानी मार्गदर्शिका–2020 (EMGSM-2020) में भी नदियों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्भरण अध्ययन कराया जाना अनिवार्य किया गया है।

2. बालू खनन के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त्त के अनुसार पुनर्भरण अध्ययन बालू बंदोबस्तधारी द्वारा कराया जाना है। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित शर्त्त के अनुसार बंदोबस्तधारी द्वारा मानसून के पहले और बाद पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) अद्यतन तकनीक द्वारा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से कराया जाना है। बंदोबस्तधारी द्वारा आंकड़ों में बदलाव कराने की संभावना रहती है, जिससे राजस्व प्रभावित हो सकता है। अतएव राज्य के प्रमुख नदियों का पुनर्भरण अध्ययन विभाग द्वारा कराया जाना आवश्यक है।

3. प्रवर्तन और निगरानी मार्गदर्शिका–2020 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुनर्भरण अध्ययन विशिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आधुनिक तकनीक से ही कराया जा सकता है। वर्ष 2022 में 04 प्रमुख नदियों यथा–सोन, कियूल, फल्गू एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन, वर्ष 2024 में 05 प्रमुख नदियों यथा–सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन तथा वर्ष 2025 में 05 प्रमुख नदियों यथा–सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 (CMPDI) से कराया गया है। मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान के चयन में विशिष्टता, गुणवत्ता एवं अनुभव के दृष्टिगत सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 के माध्यम से पुनर्भरण अध्ययन कराया जाना है। वर्ष 2026 के लिए पुनर्भरण अध्ययन का दर ₹2,32,69,600 / –(रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार छः सौ मात्र) का शुल्क देय है, जो विभाग के मुख्य शीर्ष 2853 से विकलनीय होगा।

4. अतएव वर्ष 2026 में राज्यान्तर्गत 05 प्रमुख नदियों यथा–सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण अध्ययन (Replenishment Study) हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम–131 ज्ञ(छ) के तहत नामांकन के आधार पर सेन्ट्रल माइन प्लांनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लि0 (CMPDI) से कराने हेतु राशि ₹2,32,69,600 / – (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख उनहत्तर हजार छः सौ मात्र) की स्वीकृति दी जाती है।

5. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद की दिनांक 17.06.2026 की बैठक में मद संख्या–04 में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना
1 जुलाई 2026

सं० ग्रा0वि0(VB-G RAM G)-16/2026-5841929—विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 4(4), अनुसूची–1 के पैरा 5(3) में राज्य अंतर्गत आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आने वाले पंचायतों का वर्गीकरण श्रेणी–A, B एवं C में किये जाने हेतु शक्तियॉ प्रदान की गई है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित विकसित भारत–जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के अध्याय IV की धारा 06 की उपधारा (ग) के आलोक में– प्रत्येक ग्राम पंचायत शहरी क्षेत्रों से निकटता एवं अन्य विकास मापदंडो के आधार पर श्रेणी (क, ख, ग आदि) का निर्धारण कर पूर्ण संतृप्ति में योजनाएं तैयार करेगी। उन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार एतद द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करती हैः–

2. वर्गीकरण का उद्देश्य एवं मापदंड ।– विकसित भारत–जी राम जी योजना, बिहार, 2026 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों का A, B एवं C श्रेणियों में वर्गीकरण अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के विकास स्तर का वस्तुनिष्ठ आकलन कर उनके अनुरूप योजना निर्माण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं संस्थागत सहायता सुनिश्चित करना है। विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (विकसित भारत–जी राम जी) अधिनियम, 2025 में निम्न प्रावधान किये गये हैं–

(क) अधिनियम की धारा 4(4) के अनुसार– ''ग्राम पंचायतों को श्रेणी A, B एवं C में अनुसूची I में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा।''

(ख) अधिनियम के अनुसूची I खंड 5(3) (भागीदारी योजना) के अनुसार "प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने वर्गीकरण के आधार पर संतृप्ति (सेचुरेशन) मोड प्लान तैयार करेगी। श्रेणी A, B एवं C आदि, जो विकास मानदंडों के आधार पर निर्धारित होंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों से निकटता भी शामिल है–ताकि पंचायतों की विविध आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(ग) पंचायतों के वर्गीकरण के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11060/12/2026-RE-III(396352) दिनांक 22.05.2026 द्वारा Indicative framework के साथ वर्गीकरण हेतु मानदंडों की सूची प्रेषित है।

3. मापदंड भारांक(Weightage)–

(क) जिला स्तरीय संकेतक– 10%		
I.	आकांक्षी जिला	5%
II.	प्रधानमंत्री जन–धान्य योजना अंतर्गत जिला	5%
(ख) ग्राम पंचायत स्तरीय संकेतक– 20%		
I.	प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत रोजगार दिवस	10%
II.	जिला मुख्यालय से ग्राम पंचायत की दूरी	10%
(ग) पंचायत एडवांस मेंट इंडेक्स (PAI 2.0) स्कोर (2023–24) 70%		
(घ) भारत सरकार के निर्देशानुसार संकेतकों क, ख और ग के समेकित स्कोर के आधार पर तैयार कर ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण निम्न गणना अनुसार किया गया है–		
I.	पंचायत का समेकित स्कोर (3.3 से कम अंक):	श्रेणी– C
II.	पंचायत का समेकित स्कोर (3.3 से 6.6 अंक):	श्रेणी– B
III.	पंचायत का समेकित स्कोर (6.6 से अधिक अंक):	श्रेणी– A

4. वर्गीकरण का विवरण– उपर्युक्त प्रक्रिया के आधार पर राज्य के सभी ग्राम पंचायतों का श्रेणी A, B एवं C में वर्गीकरण किया गया है जिसका संख्या निम्नवत है–

क्र0सं0	श्रेणियाँ	ग्राम पंचायतों की संख्या
I.	श्रेणी– A	469
II.	श्रेणी– B	6738
III.	श्रेणी– C	843
कुल ग्राम पंचायतों की संख्या		**8050**

(A, B एवं C श्रेणियों में वर्गीकृत ग्राम पंचायतों की सूची संलग्न)

5. अधिनियम की धारा 4(4) और अनुसूची I के अनुसार ग्राम पंचायतों का वर्गीकरण पंचायतों के विकास मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों से निकटता, पंचायतों के अंतर्गत सूचित मानव विकास के साथ–साथ पंचायत उन्नयन सूचकांक को शामिल किया गया है। यह वर्गीकरण विकसित ग्राम पंचायत प्लान (योजना) तैयार करने में मदद करता है।

राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना
7 जुलाई 2026

सं० 15/औ०–03–01/2026 –614(15A)/स्वा०—श्रीमती सरोज कुमारी, सहायक औषधि नियंत्रक, शेखपुरा के दिनांक–31.05.2026 को वार्द्धक्य सेवानिवृति के उपरांत सहायक औषधि नियंत्रक शेखपुरा के रिक्त पद पर औषधि नियमावली, 1945 के नियम–59(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ **श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक औषधि नियंत्रक, जमुई** को सहायक औषधि नियंत्रक, शेखपुरा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रभार प्रतिवेदन
19 जून 2026

सं० 2275—अधोहस्ताक्षरी मैं, **मो० सोहैल, भा०प्र०से० (2007)**, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/पी०–1001/2026–सा०प्र०–**10916** दिनांक–18.06.2026 के आलोक में **रॉबर्ट एल. चोंग्थू, भा०प्र०से० (1997)**, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना से दिनांक 19.06.2026 के पूर्वाह्न में सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का प्रभार ग्रहण किया।

(सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–1/पी०–1001/2026–सा०प्र०–**10915** एवं 1/पी०–1001/2026–सा०प्र०–**10916** दिनांक–18.06.2026 द्रष्टव्य)

(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)
भारमुक्त पदाधिकारी

(मो० सोहैल)
भारग्राही पदाधिकारी

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
8 जुलाई 2026

सं0 8/विविध–10–28/2022–8456/गृ0आ0—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28 (ए) के तहत राज्य सरकार पटना जिलान्तर्गत 182–बांकीपुर, बिहार विधान सभा, उप निर्वाचन–2026 के लिए संबंधित क्षेत्र में पदस्थापित भारतीय पुलिस सेवा/बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों/आरक्षियों एवं निर्वाचन कार्य हेतु अधियाचित अन्य सभी पुलिस पदाधिकारियों/आरक्षियों को नामित करती है।

2. नामित पुलिस पदाधिकारी, बिहार विधान सभा उप–निर्वाचन, 2026 के निर्वाचन अधिसूचित होने की तिथि से प्रारंभ होकर उक्त निर्वाचन के परिणाम के घोषित किये जाने की तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग के अधीन निर्वाचन संबंधी दायित्वों के लिए प्रतिनियुक्त समझे जायेंगे और ऐसे सभी पदाधिकारी/आरक्षी उस अवधि के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
धर्मवीर पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना
7 जुलाई 2026

सं0 04/पर्या०/वन–50/2026–3886/प०व०ज०प०—बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कार्यों के सुचारू संचालन के निमित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–4(2)(a) के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से० (93), विकास आयुक्त, बिहार, पटना को पर्षद का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाने तक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजीव कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18—571+**100** डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 657— I Mohammad Nazib Akhtar, S/O Mohammad Abu Saleh R/o Vill+mohalla-Dargah road patthar ki masjid, ward no. 50 as Affidavit No. 03, Date: 10.01.2026. That in my son Maaz Akhtar's matriculation all educational certificate my name has been mentioned as Nazib Akhtar. That in my aadhar card my name mentioned as Mohammad Nazib Akhtar. That instead of Nazib Akhtar I shall be known as Mohammad Nazib Akhtar for all purposes.

Mohammad Nazib Akhtar.

No. 666— I, TRIPTI KUMARI, D/o - Ramendra Singh, R/o - Vill - Ushuri, P.O. - Tarwara, Distt.- Siwan, Bihar - 841506. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card my name is mentioned as TRUPTI KUMARI (in English). But, in the same Aadhar card my name is mentioned as तृप्ति कुमारी (in hindi). And, in my educational documents of class 10th (BSEB) my name is mentioned as TRIPTI KUMARI. Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as TRIPTI KUMARI for all my legal purposes. Affidavit no. – 2755 Date: - 13/05/2026

TRIPTI KUMARI.

No. 669— I, Kumari Anita Agrawal, W/o- Anil Kumar Gupta, R/o- Braham Asthan, Sadar Bazar Jamalpur, Distt.- Munger, Bihar- 811214 do hereby Solemnly affirm and declare as per afd. No.- 2420 dt. 30.04.26 that my name is written my daughter Topsy's C.B.S.E. Class 10^{th} educational documents as Anita Gupta, In Aadhar Card written as Kumari Anita Agrawal. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kumari Anita Agrawal for all purposes.

Kumari Anita Agrawal.

No. 676— I, REKHA Agarwal, wife of Ramniwas Agarwal, resident of Flat No. 302, Saakaarjiten Residency, Bumper Tola, Kadamkuan, P.S.-Gandhi Maidan, District-Patna, Bihar, do hereby declare that my name has been recorded as Rekha Mittal in my son Sanjay Mittal's educational records (Class 10^{th} & 12^{th}), whereas my name is Rekha Agarwal as per my Aadhar Card. I further declare that I shall be known as Rekha Agarwal for all purposes. Vide Afd No. 994, Dt. 13-03-2026

REKHA Agarwal.

No. 677— I, RAMNIWAS Agarwal, S/o Chhabil Das Agarwal R/o Flat No. 302. Saakaar jiten Residency, Bumper Tola, Kadamkuan, P.S. Gandhi Maidan, District-Patna, Bihar, do hereby declare that my name has been recorded as Ramniwas Mittal in my son Sanjay Mittal's educational records (Class 10th & 12th), Aadhar & PAN whereas my name is Ramniwas Agarwal as per my Aadhaar Card. I further declare that I shall be known as Ramniwas Agarwal for all purposes. Vide affid no. 515 dtd. 10.2.26

RAMNIWAS Agarwal.

———

सं० **678**— मैं, नीलम कुमारी, पति- श्री अनिल कुमार, सा0- हटबरिया, वार्ड- 08, थाना- पिपरा, जिला- सुपौल। मेरी पुत्री अपूर्वा आर्य के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम नीलम देवी अंकित है जो गलत है । सही नाम नीलम कुमारी है जो मेरे आधार कार्ड आदि में दर्ज है। शपथ-पत्र सं0- 160 दिनांक- 22.01.2026

नीलम कुमारी ।

———

No. 679—Tripti Tripathi, D/o Pankaj Kumar Tripathi, Vill.+ Post: Bilauti, P.S: Shahpur, Dist.: Bhojpur, State: Bihar, PIN: 802154. That is in my Aadhar card, Pan Card, 10^{th} and 12^{th} and all educational Certificate my name is written as Tripti Kumari and my Birth Certificate my name is written as Tripti Tripathi both name are of same person from now I will be known as Tripti Tripathi for all purpose. Affidavit No. 1474 Date: 12/03/2026

Tripti Tripathi.

———

No. 686— I, Gayatri Devi, W/o Ramlal Prasad, R/o-Village-Permanand Bigha, P.O.-Rasalpur, P.S.-Noorsarai, Distt.-Nalanda Bihar-803114 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1709 dt. 30.03.26 that my name is written my Aadhar Card as Gayatri Sinha whereas in my Pan Card written as Gayatri Devi. Both names are same and one person. From now I shall be known as Gayatri Devi for all purposes.

Gayatri Devi.

———

No. 687—I, Alee Ahmad Hasan Jan, S/o- Munshi Mo. Jan, R/o-vill- Sondho Gulzarbagh, Post- Sondho dullah, P.S- Goraul, Vaishali, Bihar - 844134. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar my name is mentioned as Alee Ahmad Hasan Jan. But, in my son's Aadhar and PAN card as well as in his Educational, birth and driving license certificates my name is mentioned as Ali Ahmad, AleeAhmad Hasan Jan, Ali Ahmad hussain, Ali Ahmad Hasanjan, Alle Ahmad Hasan Jan respectively. Here, all these names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as **ALEE AHMAD HASAN JAN** for all legal purposes.. **Affidavit no.– 231 Date- 13.01.2026**

Alee Ahmad Hasan Jan.

No. 688— I, Md Jahin Ahmad, S/o- Alee Ahmad Hasan Jan, R/o - vill- Sondho Gulzarbagh, Post- Sondho dullah, P.S- Goraul, Vaishali, Bihar - 844118. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar and in my PAN card as well as in my educational certificates my name is mentioned as Zahin Ahmad, Mohammad Jahin Ahmad and Jahin Ahmad respectively. But, in my driving license as well as in my birth certificate my name is mentioned as Md Jahin Ahmad, which is true and correct. Here, all these names Zahin Ahmad, Mohammad Jahin Ahmad, Jahin Ahmad and Md Jahin Ahmad belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as MD JAHIN AHMAD for all legal purposes. Affidavit no. – 2535 Date: - 27/11/2025

Md Jahin Ahmad.

———

No. 697— I, Sheo Deyal Singh S/o Late Sianand Singh R/o vill.-Baruna, P.O.-Sewatha, P.S.-Narayanpur Distt.-Bhojpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1839 dt. 09.04.26 that my name is written in Aadhar card and Pan card as Shivdayal Singh where as in P.P.O. written as Sheo Deyal Singh. Both names are same and one person. From now I will be known as Sheo Deyal Singh for all purposes.

Sheo Deyal Singh.

———

सं० 698— मैं कार्तिकेय, पिता–श्री निलेश कुमार, माता–श्रीमती अर्चना पांडेय, स्थायी पता–मणिका हाउस, कच्ची सराय, हाथी चौक, पोस्ट–रमना, थाना–मिठनपुरा, जिला–मुजफ्फरपुर, बिहार, पिनकोड–842002, मेरा आधार कार्ड संख्या 521564555336 मेरे सभी प्रमाण पत्रों में मेरा नाम 'कार्तिकिय' है अब मैं 'कार्तिकिय कुमार सिंह' से जाना व पहचाना जाऊँगा। शपथ पत्र संख्या 33519, दिनांक 01.07.2026।

कार्तिकेय ।

No. 698—I, KARTTIKEY, S/O Shri Nilesh Kumar and Srimati, Archana Pandey, R/O Manika House, Kachi Sarai, Hathi Chowk, Post– Ramna, Distt – Muzaffarpur, Bihar, Pincode – 842002. And my Aadhar Card No.– 521564555336. My name appears as 'Karttikey' on all my certificates, Henceforth, I shall be known and identified as 'Karttikey Kumar Singh' Affidavit No. – 33519, Dated 01.07.2026.

KARTTIKEY.

सं० 699— मैं विनायक, पिता – श्री निलेश कुमार, माता – श्रीमती अर्चना पांडेय, मणिका हाउस, कच्ची सराय, हाथी चौक, पोस्ट – रमना, थाना – मिठनपुरा, जिला – मुजफ्फरपुर, बिहार, पिनकोड – 842002, मेरा आधार कार्ड संख्या 989498224803 मेरे सभी प्रमाण पत्रों में मेरा नाम 'विनायक' है अब मैं 'विनायक कुमार सिंह' से जाना व पहचाना जाऊँगा। शपथ पत्र संख्या 33522, दिनांक 01.07.2026

विनायक ।

No. 699— I, VINAYAK, S/O Shri Nilesh Kumar and Srimati Archana Pandey, R/O Manika House, Kachi Sarai Hathi Chowk, Post – Ramna, Distt – Muzaffarpur, Bihar, Pincode – 842002. My aadhar Card No. – 989498224803. My name appears as Vinayak on all my certificates, Henceforth, I shall be known and identified as 'Vinayak Kumar Singh' Affidavit No. – 33522, Dated 01.07.2026.

VINAYAK.

No. 700— I, Pratigya Vyas, D/o Late M.P Vyas, R/o Aadishakti Parisar, In front of Maa Narmade Prime, Kajawara Road, Bilhari, Jabalpur (M.P) and at present Shastri Nagar, Road No. 9, Ward No. 29, Rampur, Gaya Ji, 823001 do hereby solemnly affirm and declared as per affidavit no. 334 dated 16.07.2026 that, I have successfully completed my Ph.D. and I will be known as Dr. Pratigya Vyas for all purposes.

PRATIGYA VYAS.

———

No. 701— I, Manoj Kumar, S/o Balik Ram R/o L 172, A.P. Colony Housing Board colony P.O.-Rampur, Chiraiyatarn, Gaya, Bihar-823001 do hereby declare that Mannat Varenya is my Son. His name has been mentioned as Mannat in his Aadhar card. In School I.D. written as Mannat Varenya. Both names are sat and one person. From now h will be known as Mannat Varenya for all purposes. Aff. No. 4449 dt. 20.07.2026.

MANOJ KUMAR.

———

No. 709— I, Raj Priya Basak, W/o Rajeshwar Basak, R/o H.N.376/315, Pipal Tal, Ward-42, Kazipur, Patna-800004, P.S.-Kadamkuan, declare vide affidavit no. 15689 dt. 24.12.2025 to changed my name from Priya Ghosh to Raj Priya Basak for all purposes.

Raj Priya Basak.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18—571+**100** डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

3 जुलाई 2026

सं० 15/औ०–01–29/2026–602(15A)/स्वा०—सहायक औषधि नियंत्रक, लखीसराय के पत्रांक–163, दिनांक– 12.06.2026 द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक–27.05.2026 को प्रातः–03:00 बजे पुलिस प्रशासन लखीसराय द्वारा जब्त संदिग्ध वाहन (पिकअप वैन) में पायी गयी औषधियाँ की जाँच श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, पटना) द्वारा दो अन्य औषधि निरीक्षकों के सहयोग से किया गया। जाँच कार्य सम्पन्न होने के उपरांत श्री दीपक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन न तो किसी वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया तथा न हीं नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की गयी। श्री दीपक का यह कृत्य सरकारी कार्यो/पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, मनमानेपन्न, कर्तव्यहीनता एवं अभियुक्तों को अनुचित लाभ पहूँचाने का द्योतक/परिचायक है। इस संबंध में श्री दीपक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के तहत् रामगढ़चौक (लखीसराय) थाना में प्राथमिकी (संख्या–118/26, दिनांक–17.06.2026) भी दर्ज किया गया है।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता के मद्देनजर श्री दीपक कुमार राम, तत्कालीन औषधि निरीक्षक, लखीसराय–01 एवं 02 (सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, निदेशालय औषधि नियंत्रण प्रशासन, पटना) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(1)(क) में निहित प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री दीपक का मुख्यालय **उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रण प्रशासन का कार्यालय तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर** निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के आलोक में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

5. श्री दीपक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालन के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र राय,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० 15/आरोप (मुख्यालय) 02–22/2021–986(15)/रा0,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प
8 जुलाई 2026

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा **श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय सम्प्रति निलंबित** के विरूद्ध स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के विभिन्न बीमारियों की ईलाज का हवाला देते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना अवकाश में जाने, आदतन मुख्यालय छोड़ने, आवेदन प्रायः Whatsapp के माध्यम से भेजे जाने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के लिये विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1471(15) दिनांक–28.07.2023 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक–19.12.2023 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा अपने पिताजी, चाचा जी एवं चाची जी के कोरोना से पॉजिटिव होने के फलस्वरूप स्वयं के कोरोना से ग्रसित होने की संभावना के मद्देनजर दिनांक–04.08.2020 से 07.08.2020 तक, साईनसाईटिस के ईलाज के प्रयोजनार्थ हैदराबाद जाने के लिये दिनांक–19.10.2020 से 27.10.2020 तक, यूरिन संक्रमण और कमर दर्द के कारण दिनांक–28.10.2020 से 16.11.2020 तक, वायरल बुखार से ग्रसित होने के कारण दिनांक–23.10.2021 से 26.10.2021 तक, माता जी के बीमारी के कारण दिनांक–01.03.2021 से 30.03.2021 एवं पुत्री के देखभाल के लिये दिनांक–31.03.2021 से 06 माह के लिये शिशु देखभाल अवकाश आवेदन का उल्लेख करते हुए कार्यालय से अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया गया है।

3. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में निदेशालय द्वारा दिनांक–25.05.2024 को मंतव्य उपलब्ध कराया गया कि ''आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से स्वतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा बार–बार किसी न किसी परिवारिक सदस्यों के बीमारी का हवाला देकर अवकाश अथवा कार्यालय से अनुपस्थित रहने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक शिशु देखभाल अवकाश का प्रश्न है तो इस संदर्भ में वित्त विभागीय अधिसूचना सं0–640/वि0 दिनांक–19.01.2015 की कंडिका–3 में उल्लेखित है कि **''किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने वाले प्राधिकार की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा।''** इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा निर्धारित नियम का पालन नहीं करते हुए अपनी सुविधापूर्वक अवकाश का उपभोग किया गया है।''

मंतव्य में यह भी अंकित किया गया है कि ''विभागीय अधिसूचना सं0–202(3) दिनांक–29.06.2021 द्वारा उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन बंदोबस्त कार्यालय, वैशाली में किये जाने एवं निदेशालय का आदेश ज्ञापांक–2124 दिनांक–27.07.2021 द्वारा विरमित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा कार्यालय में योगदान न देकर सम्प्रति अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। आरोपी पदाधिकारी को कतिपय जिलों के लिये सर्वेक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था। इस प्रकार उनके गैर अनुपस्थिति से सर्वेक्षण कार्यक्रम बाधित हुआ है।'' निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताते हुए आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/ अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

4. प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने एवं दिनांक–27.07.2021 से अबतक लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–1176(15) दिनांक–12.07.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को निलंबित करते हुए मामले की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0–1195(15) दिनांक–16.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक–214, दिनांक–30.01.2026 द्वारा समर्पित जाँच/संचालन प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प–1195 दिनांक–16.07.2024 के द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से उनका पक्ष सुनने हेतु कार्यालय ज्ञापांक–83 दिनांक–16.08.2024, ज्ञापांक–91, दिनांक–12.09.2024, ज्ञापांक–95 दिनांक–27.09.2024, ज्ञापांक–116 दिनांक–21.11.2024. ज्ञापांक–132 दिनांक–24.12.2024, ज्ञापांक–181 दिनांक–08.09.2025, ज्ञापांक–189 दिनांक–13.10.2025 एवं ज्ञापांक–195 दिनांक–01.12.2025 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु आरोपी पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुई।

विभागीय कार्यवाही के दौरान नोटिस निर्गत करने के बावजूद सुनवाई की तिथियों पर श्रीमती आनन्द की उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–189 दिनांक– 13.10.2025 के आलोक में प्रेस विज्ञप्ति संख्या–PR–017289 (Revenue) 2025–26 के द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में आरोपी पदाधिकारी को सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना प्रकाशित करवायी गई। सुनवाई की तिथियों में उपस्थित होने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के वाबजूद भी श्रीमती आनन्द (आरोपी पदा०) सुनवाई में उपस्थित नही हुई।

विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित अभिकथन से सहमत होते हुए आरोपी पदाधिकारी श्रीमती आनन्द के विरूद्ध गठित आरोपों का संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित अंकित किया गया है।

6. आरोप, आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप से प्राप्त मंतव्य तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए व्हाट्सप्प /ईमेल के माध्यम से मात्र आवेदन भेजकर बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के अवकाश में मुख्यालय से बाहर प्रस्थान किया गया है। किसी भी सरकारी सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर अवकाश में प्रस्थान करना होता है न कि व्हाट्सप्प/ईमेल के माध्यम से मात्र आवेदन देकर अवकाश में मुख्यालय से प्रस्थान करना होता है। साथ ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण होने एवं योगदान हेतु दिनांक–27.07.2021 से विरमित किए जाने के बावजूद नवपदस्थापित कार्यालय में अब तक योगदान नहीं किया जाना सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। विभागीय संकल्प सं0–1176, दिनांक–12.7.2024 द्वारा सुश्री अंजली कुमारी आनन्द, तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को निलंबित करते हुए मुख्यालय भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय निर्धारित किया गया, परंतु भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–84, दिनांक–06.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती आनन्द द्वारा अब तक (वर्त्तमान समय में भी) योगदान समर्पित नहीं किया गया है। आरोपी पदाधिकारी दिनांक–27.07.2021 से अबतक लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में भी बार–बार नोटिस निर्गत किए जाने एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किए जाने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा न तो उपस्थित होकर और न ही डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया। इसका अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी के पास उनके बचाव के पक्ष में कोई साक्ष्य/तथ्य नहीं है, साथ ही वे सेवा में बने रहने के इच्छुक नहीं है।

7. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती आनन्द के विरूद्ध सरकारी **सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी**, का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड ''**सरकारी सेवा से बर्खास्तगी**, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक–851(15), दिनांक–17.06.2026 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद् की दिनांक–24.06.2026 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–26 के रूप में इसे सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

9. उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय सम्प्रति निलंबित को **''सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी''**, का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्रीमती अंजली कुमारी आनंद से संबंधित ब्यौरा निम्नवत् हैः–

1. नाम	:–	श्रीमती अंजली कुमारी आनन्द
2. पिता का नाम	:–	श्री छोटे लाल प्रसाद गुप्ता
3. पदनाम	:–	तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित।
4. जन्म तिथि	:–	04.12.1987
5. सेवानिवृति की तिथि	:–	31.12.2047
6. स्थाई पता	:–	श्याम चित्र मंदिर रोड, पुरानी चौक, वार्ड नं0–19, गोपालगंज, पिन कोड–841428

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
इनायत खान,
विशेष सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 18—571+**10** डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in